

कुंआ हादसा मामले में एसडीएम ने सीईओ से मांगा जवाब

नवभारत न्यूज
पन्ना, 17 जून। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील अन्तर्गत ग्राम बीहरपुरवा में कुंआ धंसकने से पांच मजदूरों की मौत मामले में एक महात्वपूर्ण मामला सामने आया है। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल द्वारा मौके पर पीड़ित परिजनों एवं ग्रामवासियों से सुनवाई के दौरान ग्राम के ही एक साक्षी द्वारा दल को बताया कि हादसे के कुछ दिन पूर्व मई माह में ही उक्त कूप में की जा रही अनियमितताओं के बारे में

शिवप्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम बीहरपुरवा ने सीएम ऑनलाईन में शिकायत कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की थी, जिस पर एसडीएम अजयगढ़ ने विगत 5 जून को सीईओ जनपद पंचायत अजयगढ़ को पत्र लिखा है जिसमें उल्लेख है कि कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना के आदेश के अनुसार दिनांक 26 मई को ग्राम बीहरपुरवा तहसील अजयगढ़ में मनरेगा अंतर्गत निर्माणाधीन कार्य निर्मल नीर कूप भिसक जाने के कारण मिटटी में दब जाने से पांच श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु होने की घटना की

क्या कहते हैं अधिकारी

जब उपरोक्त मामले में एसडीएम अजयगढ़ संजय नागवंशी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त मामले में सीईओ जनपद पंचायत अजयगढ़ को पत्र लिखा गया था लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

10 करोड़ की लागत से निर्मित अस्पताल का नहीं हो सका शुभारंभ

नवभारत न्यूज
पन्ना, 17 जून। क्षेत्र की जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 100 बिस्त्रयीय नवीन सिविल अस्पताल भवन आज भी लोकार्पण की राह देख रहा है। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन एवं शिलान्यास विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व अरण्य भवन के पीछे किया गया था।

उस समय इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली पहल के रूप में देखा गया था, लेकिन आज चार वर्ष बाद भी यह अस्पताल जनता के लिए शुरू नहीं हो सका है। निर्माण एजेंसी के अनुसार अस्पताल भवन का कार्य लगभग 11 माह में पूर्ण होना था, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी निर्माण कार्य

लगातार खिंचता रहा। करीब चार वर्ष गुजर जाने के बाद भवन का निर्माण तो पूरा हो गया, किंतु एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद इसका लोकार्पण और संचालन शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में क्षेत्रवासियों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस अस्पताल का लाभ आम जनता को कब मिलेगा। गुरुवार को पन्ना कलेक्टर द्वारा नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण एवं भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उद्घाटन में हो रही देरी के कारण क्षेत्र की जनता आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। गंभीर मरीजों को आज भी बेहतर उपचार के लिए जिला मुख्यालय या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ती है।

अस्पताल भवन के निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल

इधर, अस्पताल भवन की निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि भवन की कुछ दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। नागरिकों का मानना है कि उद्घाटन से पहले ही भवन में दरारें नजर आना निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है और इसकी तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि अस्पताल भवन का शीघ्र लोकार्पण कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की जाएं तथा निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच भी कराई जाए।

अवैध शराब के विरुद्ध पवई पुलिस की बड़ी कार्यवाही

नवभारत न्यूज
पवई 17 जून। सपन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने.अपने थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में दिनांक 16.17 जून की दरम्यानी रात को थाना प्रभारी पवई निरीक्षक श्री सुशील कुमार अहिरवार को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सलेहा रोड से पवई तरफएक पिकअप वाहन अवैध शराब से भरी हुई आ रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह ए एसडीओपी पवई श्रीमती भावना दागी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी पवई श्री सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में तत्काल एक टीम गठित कर घेराबंदी कर पवई सलेहा मुख्य मार्ग ग्राम कैथी के पास से पिकअप वाहन



क्रमांक डच्9 ८21280 को रोककर चेक किया गया जिसमें देसी मदिरा मसाला की 37 पेटिया एवं देसी मदिरा प्लेन की 54 पेटिया कुल मिलाकर 91 पेटियो में भरी हुई 08 सौ 19 लीटर अवैध शराब कोमती करीबन चार लाख की भरी होना पाई गई।

आरोपी वाहन चालक प्रमोद राय पिता हरचरण राय निवासी सूतचपुराखुर्द थाना बड़ामलहरा जिला छतरपुर के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में शराब परिवहन बिना किसी लाइसेंस के किए जाने से धारा 34.2८ आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब

जाँच गठित दल के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस जाँच कार्यवाही के तहत ग्राम बीहरपुरवा में सुनवाई के दौरान एक साक्षी द्वारा यह तथ्य बताया गया कि उक्त निर्माणाधीन कूप के संबंध में शिवप्रसाद पिता कल्लू अहिरवार निवासी ग्राम बीहरपुरवा द्वारा सी0एम0 हेल्प लाईन पर घटना के कुछ दिनों पूर्व मई 2026 में उक्त कूप के दोबारा कार्य प्रारंभ होने के पूर्व शिकायत दर्ज कराई गई थी। अतः आप उक्त संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें कि क्या ऐसी कोई शिकायत उक्त व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी। यदि की गई थी तो क्या निराकरण किया गया अथवा नहीं। शिकायत के डिटेल की प्रति भी प्रस्तुत की जावे। अब यदि उपरोक्त बात सही है कि हादसे के पूर्व सीएम ऑनलाईन शिकायत हुई थी तो इससे साफस्पष्ट

होता है कि इस पूरे हादसे के मामलों में जनपद पंचायत अजयगढ़ सीईओ सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है यदि लापरवाही

न की जाती तो शायद हादसा न होता। अब सीएम ऑनलाईन शिकायत हुई थी या नहीं यह तो जांच उपरांत की स्पष्ट हो सकेगा।

कुंआ हादसे के प्रमुख तथ्य

जनपद पंचायत अजयगढ़ के ग्राम पंचायत बीहरपुरवा के मजरा नयापुरवा में विगत 26 मई को हृदयविदारक घटना घटित हुई थी जिसमें मनरेगा योजना के निर्मल नीर कूप नियम विरुद्ध निजी भूमि पर खोदा जा रहा था जिसमें पांच मजदूरों की कुंआ धंसकने से मौत हो गई थी। घटना में जो प्रमुख रूप से तथ्य सामने आये है उसमें वर्ष 2025 में एक वर्ष पूर्व भी वही मौत का कुंआ धसक चुका था, जिसे प्रशासन द्वारा छिपाया गया था। वहीं 2 मई 2025 के बाद कोई मस्टर वर्क रिकार्ड में नजरने नहीं हुआ। यानि की रिकार्ड में एक साल से काम टप्प रहा फिर भी वास्तव में कार्य जारी रहा। वहीं 2 मई 2025 तक मजदूरी मद में 2 लाख 26 हजार में से 1 लाख 98 हजार 264 रुपये खर्च दिखाया गया जबकि खुदाई पूरी नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि रिकार्ड में फर्जी काम दिखाकर बिल बाउचरों का अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रमाणिकरण कर भुगतान किया गया है जो आज भी प्रशासनिक एवं राजनैतिक संरक्षण के चलते कार्यवाही से बचे हुए है।

एसपी ने 1 करोड़ 24 लाख की आधुनिक बैरक निर्माण का किया भूमि पूजन



रुपये है। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक मध्यप्रदेश विशेष

सशस्त्र बल (एस.ए.एफ) के जवानों की आवासीय क्षमता के

कृषि विभाग की सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू मिलेगा एक हजार रुपए का इनाम

नवभारत न्यूज
पन्ना, 17 जून। जिले में उर्वरकों का अवैध विक्रय, अनाधिकृत भंडारण, कालाबाजारी तथा नकली व मिलावटी उर्वरकों के निर्माण की संभावना, अनुदानित उर्वरकों (दूरिया) के अनाधिकृत औद्योगिक उपयोग की संभावना के दृष्टिगत तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

विभाग द्वारा इसके लिए

विश्वसनीय सूचनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में खाद की कालाबाजारी की सूचना देने वाले को एक हजार रूपए नकद इनाम प्रदान करने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। राज्य एवं जिले का कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नम्बर 155253 जारी किया गया है। सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। यह योजना 30 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगी।

बृहस्पति कुंड का ग्लास ब्रिज मानसून सीजन में पर्यटकों को लुभाएगा



नवभारत न्यूज

पन्ना, 17 जून। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हवा में लटक के ब्रिज को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। पर्यटक यहां सेल्फी, फोटो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

मई के अंत तक इस ग्लास ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एमपीटी के इंजीनियर विवेक चौबे ने बताया कि करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यह ब्रिज पन्ना जिले के पर्यटन को नई पहचान देने के साथ प्रदेश में रोमांचक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। लगभग 28 मीटर लंबे इस ब्रिज की सबसे खास बात इसका

रोजगार के अवसर होंगे सृजित

पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए यहां पार्किंग, मुख्य द्वार, कैफेटेरिया, जन सुविधा पार्क, व्यू प्वाइंट और पाथ-वे का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। ब्रिज शुरू होने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ बृहस्पति कुंड का धार्मिक महत्व भी विशेष है। मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति ने यहां तपस्या की थी और भगवान श्रीराम भी वनवास काल में यहां आए थे। इसी कारण यह स्थल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

शहर में जल गुणवत्ता पर सवाल घरों तक पहुंच रहा अमानक पानी

नवभारत न्यूज
पन्ना, 17 जून। क्या नगर की जनता को शुद्ध पानी मिल रहा है? क्या मानक के अनुसार पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है? क्या आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल से जनता संतुष्ट है? क्या नगर पालिका के पास पेयजल की गुणवत्ता को परखने के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं?

क्या पर्याप्त मात्रा में नमूने लिये जा रहे हैं? इस तरह के सवाल इसलिये खड़े हो रहे हैं जल गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं? कई वार्डों में आपूर्ति होने वाले पानी में विशेष प्रकार की गंध आती है। ऐसा लगता है जैसे शुद्धता के लिये उपयोग होने वाले केमिकल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। वहीं कुछ वार्डों से शिकायतें आ रही हैं कि वहां दुर्गन्धयुक्त पानी पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं अनियमित रूप से पानी की आपूर्ति हो रही है। कई जगह तो पाईपलाइनों में लीकेज के कारण भारी मात्रा में पानी का बहाव हो रहा है। यदि इस तरह का लीकेज जमीन

के नीचे ऐसे स्थान पर है जहां नाली या नाला है या गंदा पानी वहां जमा होता है तो वहां पानी पेयजल की पाईपलाईन में भी प्रवेश कर सकता है। निस्संदेह जल गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। जिसे शुद्ध पानी की संज्ञा दी जाती है वह घरों में पहुंचने के बाद प्रदूषित हो जाता है।

जलजनित बीमारियों का कारण प्रदूषित पेयजल - यह बात भी स्पष्ट है कि कई बीमारियां प्रदूषित पानी के उपयोग से होती हैं। हाल में इंदौर की घटना ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। वहीं जल जनित बीमारियों को पहले से भी कई तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं। यही कारण है कि पानी की गुणवत्ता निर्धारित है, उसका मानक स्तर निर्धारित किया गया है। उस स्तर तक उसे शुद्ध किया जाता है उसके बाद आपूर्ति की जाती है। किन्तु जहां सरकारी लापरवाही होती है, जहां संबंधित अमला या उससे जुड़े अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते। नियमित रूप से मानीटरिंग नहीं करते।

घरों से नहीं लिए जाते पानी के नमूने

फिल्टर प्लांट में पानी का शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके बाद भी पानी के नमूने लिये जाने चाहिये। चूंकि अंतिम स्थिति में पानी पाईप लाईनों के माध्यम से घरों तक पहुंचता है। जबकि शहर में पाईप लाईनों की स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। सुधार के नाम पर भले ही बहुत कुछ करने की बात कही जाती हो। किन्तु सत्य यही है कि शहर की पेयजल पाईप लाईनें पूरी तरह से ठीक नहीं है। नगर पालिका प्रशासन इस मामले को गंभीरता से कभी लेता ही नहीं है। यही कारण है कि अंतिम स्थिति में जब शोधित पेयजल घरों तक पहुंचता है तो कई जगह उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। वह प्रदूषित हो जाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वार्डों में उपभोक्ताओं के यहां भी जल गुणवत्ता के नमूने लिये जाने चाहिये। किन्तु इस तरह की प्रक्रिया आज तक नगर पालिका में शुरू ही नहीं हुई।